महत्वपूर्ण एवं खास

हीरापुर एसबीआई एटीएम मशीन में छेड़छाड़ कर अज्ञात आरोपियों ने 177500 रूपये किये पार

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर के हीरापुर इलाके में एसबीआई बैंक के एटीएम में छेड़छाड़ कर अज्ञात आरोपियों ने 177500 रूपये चोरी कर ले गये। घटना की रिपोर्ट कबीरनगर थाना में दर्ज कराई गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अज्ञात आरोपियों ने 16 जुलाई को हीरापुर एसबीआई एटीएम में जाकर एटीएम मशीन में छेड़खानी कर उसमें रखे 177500 रूपये चोरी कर फरार हो गए। पुलिस आरोपियों को पकड़ने सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस ने मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 380 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

महिला हुई ठगी का शिकार, अज्ञात आरोपी ने उड़ाए खाते से 51 हजार

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी में ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ते जा रहे है। इसी तरह एक महिला ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई। अज्ञात व्यक्ति ने महिला के खाते से 51 हजार रूपए पार कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर तेलीबांधा पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफधोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। गोकुल नगर श्यामनगर निवासी प्रियंका नागपाल 45 वर्ष ने थाने में शिकायत किया कि उसे अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आया और उक्त व्यक्ति ने अपने आप को एसबीआई कंपनी का कर्मचारी बताकर क्रेडिट कार्ड वेरीफाई करने के नाम पर ओटीपी नंबर ले लिया। जिसके बाद महिला के खाते से आरोपी ने 51 हजार रूपए आहरण कर लिया। पीड़िता की शिकायत पर तेलीबांधा पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

क्रेशर मशीन की चपेट में आने से युवक की मौत

राजनांदगांव (आरएनएस)। ग्राम पचमेड़ी डुमरडीह कला में क्रेशर मशीन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। बता द कि मृतक मोहित पटेल क्रेशर उद्योग में काम कर रहा था तभी अचानक काम करते समय मशीन के चपेट में आ गया। जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने क्रेशर संचालक मनोज बैद्य के खिलाफधारा 287 व 304 ए, के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। वहीं स्थानीय मजदूरों का कहना है कि आउट डेटेड हो गया है, जिसके चलते आए दिन इस तरह की घटना घटती रहती है।

दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दोपहिया वाहन चोरी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। गोलबाजार एवं देवेन्द्र नगर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोपहिया वाहन चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की दो नग एक्टिवा वाहन जब्त किया है। पकड़े गए आरोपियों में विकास सोनी उर्फ विक्की 42 वर्ष निवासी गुढ़ियारी, शिवा गोड़ उर्फशिव 28 वर्ष निवासी आमातालाब के पास से एक एक्टिवा हवान जब्त किया है। जिसे आरोपियों ने रविभवन पार्किंग बेसमेंट से चोरी किया था। वहीं दूसरे मामले में देवेन्द्र नगर पुलिस ने आरोपी दीपक साहू 20 वर्ष निवासी मौलीपारा तेलीबांधा व प्रहलाद गिरी गोस्वामी 39 वर्ष निवासी अशोकनगर गुढ़ियारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन दोनों के पास एक एक्टिवा वाहन जब्त किया है। पुलिस ने चारों आरोपियों पर कार्रवाई कर जेल भेज दिया है।

स्वसहायता समूह के महिलाओं में विवाद,अपराध दर्ज

कोरबा (आरएनएस)। मुड़ापार इलाके में पिछली रात स्वसहायता समूह से संबंधित महिलाओं के दो गुट में विवाद के बाद स्थिति विस्फोटक हो गई। दोनों पक्षों ने इस बारे में शिकायत की।

राज्य में खाद, बीज और कीटनाशक औषधियों की गुणवत्ता की जांच जारी

» अब तक बीज के 42 तथा उर्वरक के 45 नमूने अमानक मिले

» अमानक नमूनों के लाट के विक्रय पर रोक : संस्थाओं को नोटिस

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार कृषि विभाग द्वारा राज्य में रासायनिक उर्वरकों, बीज एवं कीटनाशक औषधि की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। कृषि विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी खरीफ सीजन के शुरूआती दौर से ही अपने-अपने इलाकों में लगातार बीज, खाद और कीटनाशक औषधियों के गुणवत्ता पर निगरानी रखने के साथ ही सेम्पल ले रहे हैं। सेम्पल की जांच गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में नियमित रूप से की जा रही है। राज्य में बीज के अब तक 42 नमूने तथा रासायनिक उर्वरक के 45 नमूने अमानक पाए गए हैं, जिनके लाट के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाए जाने के साथ ही संबंधित फर्मों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया गया है। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खरीफ सीजन 2021 में बीज के अब तक 1964 नमूने लिए गए हैं, जिसमें से 1819 नमूनों का विश्लेषित किए जा चुके हैं, जबकि 145 नमूनों की जांच जारी है। उक्त नमूनों में 1777 नमूने मानक स्तर के तथा 42 नमूने अमानक पाए गए है। इसी तरह रासायनिक उर्वरकों की गुणवत्ता की जांच के लिए कृषि विभाग के उर्वरक निरीक्षकों द्वारा 1562 नमूने विभिन्न संस्थानों से लिए गए हैं। जिसमें से 1197 नमूनों की जांच की जा चुकी है। 365 नमूनों की जांच जारी है। रासायनिक उर्वरकों के विश्लेषित सैम्पल में से 1152 मानक स्तर के तथा 45 अमानक पाए गए हैं। अमानक बीज एवं खाद के लाट के विक्रय को विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के साथ संबंधित संस्थाओं को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। कृषि विभाग की टीम कीटनाशक औषधियों के गुणवत्ता के जांच के लिए भी सेम्पल ले रही है। टीम द्वारा अब तक कुल 23 सैम्पल विभिन्न फर्मों से लिए गए हैं।

क्रेडिट कार्ड वेरीफाई करने के नाम पर खाते से उड़ाये 51 हजार रूपये

तेलीबांधा थाना पुलिस जांच में जुटी

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी सहित पूरे प्रदेश में ऑनलाईन ठगी के मामले लगातार बढ़ने लगे है। कोई बैंक कर्मी बनकर बैंक ग्राहकों से मोबाईल फोन पर संपर्क कर उनके खातों से रूपये पार कर रहे है तो कोई वेबसाईट के माध्यम से लोगों से ठगी कर रहे है।

राजधानी रायपुर के गोकुल रेसीडेंसी श्यामनगर निवासी महिला प्रियंका पति दीपक नागपाल 45 वर्ष भी ठगी की शिकार हो गई। प्रार्थियों के फोन पर आरोपी मोबाईल नंबर 8794468754 से फोन आया जो खुद को एसबीआई बैंक का कर्मी बताते हुए कहा कि उनके द्वारा बैंक से लिए गए क्रेडिट कार्ड का वेरीफाई करना है। यह कहकर आरोपी ने प्रार्थियों से ओटीपी नंबर भी ले लिया। इसके बाद उसके खाते से 51 हजार रूपये आहरण हो गये। जिसके बाद इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

मुख्यमंत्री बघेल ने 'महासमुंद जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी' पुस्तक का किया विमोचन

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज शाम यहां अपने निवास कार्यालय में शिक्षक श्री विजय शर्मा द्वारा संकलित 'महासमुंद जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी' पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री बघेल ने इसके लेखन और संकलन के लिए शिक्षक श्री शर्मा को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने इसका विमोचन करते हुए कहा कि प्राचीन काल से ही यहां के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश की आजादी में अमूल्य योगदान दिया है। पुस्तक के प्रकाशन से सेनानियों के देश प्रेम, संघर्ष और बलिदान की गाथाओं से जिले के साथ-साथ प्रदेश तथा देश के लोग परिचित होंगे। इस अवसर पर संसदीय सचिव श्री विनोद सेवन चन्द्राकर, दाऊलाल चन्द्राकर, नारायण नामदेव, विश्वनाथ पाणिग्राही आदि उपस्थित थे।

डुबान क्षेत्र के लोगों को सेवाभावी संगठन उपलब्ध करा रहे स्वास्थ्य सेवाएं

कोरबा (आरएनएस)। दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं । यहां के लोग अभाव से भरा जीवन जीने को मजबूर हैं। ऐसे इलाकों में स्वास्थ्य के मामले को लेकर होने वाली परेशानियों से लोगों को अक्सर दो-चार होना पड़ता है । सामाजिक संगठनों के द्वारा देवद्वारी और आसपास के ऐसे ग्राम में की सुध ली जा रही है। लोगों को सुविधा देने का संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। हसदेव बांगो बहुउद्देशीय बांध परियोजना का काफी बड़ा हिस्सा डुबान में शामिल है। इसके अंतर्गत आने वाली आबादी को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। डूब क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले लोगों को संपर्क संचार शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर अन्य मामलों में कॉफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। विकासखंड कोरबा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत देवपहरी के आश्रित ग्राम देवद्वारी के साथ कुछ ऐसे ही समस्याएं बनी हुई हैं। बांध परियोजना के आश्रित ग्राम में संरचना कुछ ऐसी है कि इसके कुछ हिस्से डूब क्षेत्र के आसपास मौजूद हैं ऐसे में हर सीजन में लोग परेशान होते हैं। समस्या तब बढ़ जाती है जब बारिश का मौसम आता है ऐसे में पानी की अधिकता होने से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पुराने साधन अपनाने पड़ते हैं और ज्यादा सतर्कता पर ध्यान देना होता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि स्वास्थ्य के मामले में यह इलाका अभी भी कुल मिलाकर सुविधा विहीन बना हुआ है। सरकारी स्तर पर कोई खास प्रयास यहां पर जन स्वास्थ्य के मसले पर नहीं हो रहा है । ऐसे में उनकी सुध लेने का काम गोमुखी सेवा धाम और ग्राम समग्र प्रकल्प के अंतर्गत काम करने वाले लोग समय-समय पर कर रहे हैं। एक निश्चित अंतराल में इन लोगों की स्वास्थ्य टीम यहां पर पहुंचने के साथ कैंप आयोजित करने में गंभीरता दिखाती हैं। लोगों का परीक्षण करने के साथ निशुल्क दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी कोशिश से अब तक सेंकडो लोगों की जीवन रक्षा करने का काम संभव हो सका है। प्रकल्प से जुड़े सेवाभावी कार्यकर्ता डॉक्टर देवाशीष मिश्रा मिथिलेश दुबे आदित्य सिंह नरोत्तम सिंह ने बताया कि इस तरह के प्रयासों को पूरी गतिशीलता के साथ विभिन्न क्षेत्रों में विस्तारित किया जा रहा हैं।

चिटफंड संचालकों की चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा जुटाएगी पुलिस

क ोरबा (आरएनएस)। भोले-भाले लोगों को रकम दोगुनी-तिगुनी करने का प्रलोभन देकर झांसे में लेने वाली चिटफंड कंपनियों पर पुलिस कप्तान सख्ती के मूड में हैं। निवेशकों की गाढ़ी कमाई से अपना घर-कारोबार चमकाने वाले कंपनी संचालकों का लेखा-जोखा जुटाने की तैयारी शुरू हो गई है। एसपी भोजराम पटेल ने जिले के पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में त्वरित कार्रवाई के निर्देश देते हुए जल्द से जल्द कंपनी संचालकों की चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा जुटाने कहा है। इन संपत्तियों का चिन्हांकन होने पर शासन की ओर से उन पर कुर्की की कार्रवाई कर ठगे जाने वाले आम लोगों की रकम वापसी की दिशा में कवायद सुनिश्चित की जा सकेगी।

एसपी भोजराम पटेल ने कहा कि लोक लुभावने लालच, प्रलोभन और वादा कर निवेशकों के अरबों रुपये का चंपत लगाने वाले चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए संचालकों को गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही संचालकों के चल व अचल संपत्ति की पहचान व जानकारी संकलित की जाए। पुलिस कार्यालय स्थित सभागार में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सभी थाना, चौकी और पुलिस सहायता केंद्र के प्रभारियों की बैठक लेते हुए एसपी पटेल ने उक्त कही। उन्होंने कहा कि चिटफंड कंपनी से अनेक लोग छले जा रहे हैं। इन कंपनियों के संचालक अपने फायदे लिए आमजनों से प्रलोभन दिखा कर राशि वसूल रहे हैं। इससे लोगों को आर्थिक क्षति पहुंच रही है, वहीं मानसिक रूप से परेशान भी हो रहे हैं। यहां यह बताना लाजिमी होगा कि कोरबा समेत प्रदेश की कई चिटफंड कंपनी के संचालक अवैध कारोबार का एक बड़ा जाल बिछाकर, लोक लुभावने प्रलोभन और संपत्ति को दोगुना-तीन गुना करने का लालच देकर अपने अधीनस्थों के माध्यम से निवेशकों की गाढ़ी कमाई का अरबो रुपये चंपत लगाकर फरार है। हालांकि कई संचालक वर्षों से सलाखों के पीछे जेल की सजा काट रहे हैं। हजारों निवेशकों की जीवन भर की पूंजी और गाढ़ी कमाई इनके अवैध कारोबार की भेंट चढ़ गई। इसकी वजह से हजारों परिवार अत्यंत आर्थिक संकट के दौर से गुजरने को मजबूर हो रहे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे कई निवेशक आज भी अपनी रकम वापसी के इंतजार में भटकने को विवश हैं। उन्हें उनके मेहनत की कमाई वापस दिलाने कमर कसते हुए पुलिस गंभीरता से प्रयास करने जुट गई है।

सेल्स ऑफिसर के 40 और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के 200 पदों पर भर्ती

» आज रोजगार कार्यालय रायपुर में होगा प्लेसमेंट केम्प का आयोजन

रायपुर (आरएनएस)। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 19 जुलाई 2021 को स्थान-रोजगार कार्यालय रायपुर, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, जी.ई. रोड, रायपुर में प्लेसमेंट कैम्प आयोजित होगा। इस प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से निजी क्षेत्र के नियोजक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक अकादमी. रायपुर द्वारा सेल्स ऑफिसर के 40 पदों और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के व्यवशय विकासअधिकारी के 200 पदों पर स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भर्ती की जानी है। उप संचालक रोजगार ने बताया कि उक्त पदों पर भर्ती हेतु योग्य एवं इच्छुक आवेदक निर्धारित तिथि 19 जुलाई 2021 को अपनी शैक्षणिक एवं तकनीकी शिक्षा तथा अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपनी उपस्थिति दे सकते हैं। सोशल डिस्टेंटिंग का पालन करते हुए आवेदक प्लेसमेंट कैम्प में सम्मिलित होंगे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बीमार बेसहारा एवं लावारिस वृद्धा को उपचार उपरांत वृद्धाश्रम में भर्ती कराया

दुर्ग (आरएनएस)। राजेश श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के दिशा निर्देश पर छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों में निवास करने वाले वृद्धजनों के सम्मान में 'करुणा' के नाम से एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाई जा रही है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राहुल शर्मा ने बताया कि एक वृद्धा सकून बाई यादव गंजपारा क्षेत्र में बीमार अवस्था में लावारिस देखी गई। जिन्हें 108 की मदद से डिस्टिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उपचार पूर्ण होने के उपरांत यह ज्ञात हुआ कि वृद्धा का इस दुनिया में कोई नहीं है तत्पश्चात उनका कोविड टेस्ट कराकर उन्हें पुलगांव स्थित वृद्धाश्रम में भर्ती कराया गया। वृद्धा की उम्र 60 साल है, वृद्धा को उनकी मर्जी से वृद्धाश्रम में भर्ती कराया गया वहां कई साल से अस्वस्थ थी एवं भीख मांग कर अपनी रोजी-रोटी किया करती थी, श्री राम देव गुप्ता एवं कांस्टेबल श्री कृपाराम ठाकुर के सहयोग से उक्त वर्ष जिनको उपचार करा कर दवाई दिलवा कर वृद्धाश्रम में भर्ती कराया गया।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों भरण-पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के तहत अपने संतान/परिवारजनों से भरण पोषण एवं रहन-सहन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं तथा इसके लिए विधि अनुसार परिवार न्यायालय में प्रकरण भी दर्ज किये जा सकते हैं । प्रायः यह देखने में आता है कि संतान अपने माता-पिता के सम्पत्ति का उपभोग करते हैं किन्तु उनके भरण-पोषण के दायित्व से अपने का अलग कर देते हैं । माता-पिता भी अपनी संतानों के इस कृत्य को आमजनों के सामने लाये जाने में संकोच करते हैं तथा अपने इज्जत एवं सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए संतानों के द्वारा दी जा रही पीड़ा को सहन करते हैं । वृद्ध माता-पिता संतानों के द्वारा दिये गये पीड़ा को सहन करते हैं तथा मानसिक रूप से कमजोर होते जाते हैं।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं० 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु० सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुर्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य साथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूर्धन्य विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करवाएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

101 किलो गांजा के साथ अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार

क ोरबा (आरएनएस)। चार पहिया वाहन में गांजा रख कर पड़ोसी जिला जांजगीर-चांपा से पेंड्रा जा रहे चार पहिया वाहन को पुलिस ने पकड़ा। वाहन में 101.38 किलोग्राम गांजा समेत एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित गांजे की यह खेप बेचने जा रहा था।

पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बताया कि मुखबिर ने सूचना दी कि एक चार पहिया वाहन में गांजा भर कर रिस्दी चौक होते हुए पेंड्रा भेजा जा रहा है। इस पर चौकी प्रभारी रामपुर उप निरीक्षक मयंक मिश्रा की अगुवाई में टीम गठित कर रिस्दी चौक के पास घेराबंदी की गई। इस दौरान स्कार्पियो वाहन क्रमांक सीजी 04 जे एफ 5610 पहुंची, जिसे रोक कर जांच की गई तो उसमें 101.38 किग्रा गांजा मिला। पुलिस ने वाहन समेत गांजा व मोबाइल जब्त करते हुए आरोपित कन्हैया लाल यादव पिता संतराम यादव 43 साकिन दिहारीन दाई मंदिर के पास ग्राम गोढ़ी को गिरफ्तार किया। आरोपित के खिलाफ धारा 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इस कार्रवाई से एक बार फिर जांजगीर-चांपा, कोरबा व गौरेला-पेंड्रा-मरवाही समेत तीन जिलों में गांजा तस्करी के गोरखधंधे के तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं।

पुलिस ने बताया कि कन्हैया ने प्रारंभिक पूछताछ करने पर दो वर्ष पूर्व रायगढ़ जिला के सरिया थाना से एनडीपीएस के प्रकरण में जेल जाना स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जिले में सभी किस्म के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने सभी थाना-चौकी प्रभारियों को खास तौर पर निर्देशित किया है।

इसी क्रम में कार्रवाई करते हुए रामपुर पुलिस ने यह कामयाबी पाई है। पिछले माह सात जून को भी रामपुर पुलिस ने गांजा ले जाते दो तस्करों को धर-दबोचा था, जिसके तार अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े थे।

इससे पहले करीब एक माह पूर्व भी सेहत से भरी सब्जियों के बीच रात के अंधेरे में नशे का भंडार छिपाकर ले जाते पुलिस ने एक पिकअप को पकड़ा था। ढेंगुरनाला के पास घेराबंदी कर की गई कार्रवाई में डाले के ऊपर रखी सब्जियों के बीच 270 किलो से अधिक मात्रा में गांजा छुपाया गया था। पुलिस को इंतजार करते देख पिकअप चालक समेत दो आरोपित वाहन वहीं छोड़ जंगल में भाग गए थे। उनकी तलाश करते हुए बाद में पुलिस दो आरोपितों को पकड़ा था। उस कार्रवाई में पुलिस के हाथ लगे केवल 19 साल की उम्र में नशे का सौदागर बने दो आरोपितों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।